

05 ⁰²/₂₅

पञ्चावली पेश हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पञ्चावली के अनवान के अनुसार तीन बार आवर्गें लगाई जाने के बावजूद प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। लिहाजा पञ्चावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पञ्चावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक क्लिंकर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली